न्यायालयः- अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 01 किशनगढ़ जिला अजमेर।

पीठासीन अधिकारी :- संदीप आनन्द, आर.जे.एस.
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

दीवानी वाद संख्या :- 29/2023
सीआईएस संख्या :- 29/2023

1. हनुमान प्रसाद रेगर पुत्र रामकरण रेगर उम्र 50 वर्ष निवासी सलेमाबाद तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान । ....वादी

बनाम

1- अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. जरिये अध्यक्ष अजमेर

2- अ.वि.वि.नि. लि. जरिये अधिक्षण अभियन्ता, अजमेर (राजस्थान)

3- अ.वि.वि.नि.लि. जरिये सहायक अभियन्ता, रूपनगढ़ जिला अजमेर (राजस्थान) ... प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 1 (ए) घातक दुर्घटना अधिनियम 1855

उपस्थितिः-
1.श्री गोपीराम जाट, विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री अजय सिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक- 16-07-2026

1. वादी की ओर से यह हस्तगत वाद मृतका गीता देवी की करंट लगने से उसकी असामयिक मृत्यु दिनांक 18-03-2023 को हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 20-07-2023 को प्रस्तुत की गयी।

2. प्रस्तुत याचिका में संक्षिप्त तथ्य यह बताये गये हैं कि दिनांक 18-03-2023 को सुबह 8:00 बजे मृतका गीता देवी पत्नि हनुमान प्रसाद रेगर खेत में कृषि कार्य हेतु व मवेशी चराने गई हुई थी। बाद में खारी बेरी स्थित श्रीजी महाराज की बीड़े में मवैशी, चराने के दौरान सायं को

करीबन 6:00 बजे विद्युत विभाग की 11000 केवी लाईन अत्यधिक नीचे लटकी हुई थी, जो टुट कर अचानक लटकते हुए मृतका गीता को टच हो गया, जिससे मृतका गीता देवी के करंट आने पर वह जमीन पर गिर गई। जब शाम को गीता देवी घर नही लौटी तो वादी का लड़का मुकेश जो पता करने हेतु खेत पर गया तो देखा कि विद्युत लाईन का तार टुटकर लटका हुआ है और मृतका गीता देवी के उक्त तार से करंट आ रखा है। वादी के लड़के मुकेश ने तार हटाया फिर तुरन्त प्रभाव से घर पर व थाने को सूचित करवाया तथा मृतका गीता देवी को निजी वाहन से किशनगढ अस्पताल पहुंचाया तब तक गीता की मृत्यु हो गई। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना रूपनगढ़ पर दी गई जिस पर जांच कर 174 सीआरपीसी के तहत अन्तिम रिपोर्ट उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ के समक्ष पेश की गई। तार बिना सावधानी के व नियमो के मुताबिक लगाया हुआ नही है। विद्युत तार, ताण व अर्थिंग में सुरक्षा उपाय किये गये नही है जिसके कारण तार टुट गये जिससे गीता देवी की मृत्यु हो गई। समस्त विद्युत लाईनो ताण व अर्थिग की देख-रेख करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की होती है तथा विधुत तारो, ताण अर्थिग व इन्सुलेटर लगाने व विधुत प्रवाह रोकने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण के कर्मचारियो व अधिकारियो को होती है लेकिन प्रतिवादीगण के द्वारा अपने कर्तव्यो की पालना नही की गई है यदि प्रतिवादीगण द्वारा समय समय पर विधुत तारो, पोलो, ताण व अर्थिग, डीपी की देखरेख करते तो गीता देवी की मृत्यु नही होती। प्रतिवादीगण के कर्मचारियो व अधिकारीयो द्वारा विधुत झूले हुये तारो विद्युत व ताण वगेरह की समय पर देख-रेख नही की। विद्युत लाईनो की समय समय पर मरम्मत नही की गई तथा विद्युत लाईनो व ताण के तार को समय पर ठीक नही किया व जनहानि से बचाने के उपाय नही किये तथा ढीले तार को नियमानुसार उचाई पर नही लिया न ही उनको खींचा गया तथा प्रतिवादीगण के कर्मचारियो व

अधिकारियो द्वारा लापरवाही व असावधानिक पूर्वक कार्य किया गया तथा प्रतिवादीगण उपरोक्त सभी कार्य अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ समय पर पूर्ण किये जाते तो विद्युत तार टुटकर जमीन तक नही आता व गीता देवी की मृत्यु नही होती। प्रतिवादीगण के कर्मचारीयो व अधिकारियो की लापरवाही व उदासीनता के कारण गीता देवी की विद्युत करंट लगने से मृत्यु हुई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना रूपनगढ में पेश की जिसपर 174 सीआरपीसी में जांच कर पुलिस थाना अधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी जी रूपनगढ़ के समक्ष मृग पेश की जिसमें गीता देवी मृत्यु तार टुटकर करंट लगने से प्रमाणित किया। प्रतिवादीगण विभाग के कर्मचारियों की घोर लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई है। मृतका गीता देवी के प्रति प्रतिवादीगण का सावधानी बरतने का विधिक दायित्व था लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा अपने विधिक दायित्व के उल्लघंन के फलस्वरूप में मृतका गीता देवी को क्षति कारित हुई जिससे मृतका गीता देवी की असामयिक मृत्यु हो गई। जिसके लिए वादी व उसके परिवार को प्रतिवादीगण के द्वारा सावधानी बरतने के कर्तव्यो के उल्लघंन में गीतादेवी की असामायिक मृत्यु से वादी व उसके परिवार को आर्थिक व मानसिक क्षति हुई है। वादी को हर प्रकार से क्षति कारित हुई है। अन्त में वादीगण ने प्रतिवादीगण से संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से प्रतिकर राशि क्रमशः रुपये 4350000/- दिलाये जाने की मांग की।

3. प्रतिवादीगण की ओर से उक्त याचिका का जवाब प्रस्तुत कर अधिकांश तथ्यों से इंकार करते हुए अभिकथन किए गए कि मृतका प्रतिवादीगण के विद्युत विभाग की लापरवाही से नही मरी है वहां मौके पर किसी भी प्रकार की विद्युत तार न तो टूटी हुयी थी और न ही लटकी हुयी थी। वादी ने क्लेम प्राप्त करने के लिए विद्युत विभाग पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। वादी ने इस संबंध में पुलिस मे झूठी रिपोर्ट दर्ज करवायी है। विभाग द्वारा विद्युत लाइने सभी सुरक्षात्मक मापदण्डो को ध्यान में

रखते हुये खींची जाती है एवं मरम्मत आदि का काम किया जाता है। मौके पर विद्युत विभाग की जो लाईने है व ऊँचाई पर थी तथा आज भी ऊँचाई पर लगी हुयी है। यदि तार नीचे लटके हुये होते तो इस संबंध में विभाग में शिकायत की जाती लेकिन ऐसा नही हुआ है। अतः वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. हस्तगत वाद में पक्षकारों के आये उपरोक्त अभिवचनों व दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नांकित तनकीयात की संरचना की गयी:-

1. आया प्रतिवादीगण की लापरवाही व गफलत के कारण दुर्घटना घटित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मृतका गीता देवी के करन्ट लगने से मृत्यु कारित हुई ? ...वादी
2. आया वादी, प्रतिवादीगण से उक्त विद्युत प्रवाह के कारण दुर्घटना में उसकी पत्नी की मृत्यु होने के कारण 43,50,000/- रू. एवं दुर्घटना की दिनांक से वसूली तक इस राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज राशि भी प्राप्त करने का अधिकारी है? ..वादी
3. अनुतोष ?

5. वादी की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू- 1 हनुमान व पी.डब्ल्यू-2 जगमाल सिंह को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना के संबंध में धारा 174 सीआरपीसी की चाक रिपोर्ट प्रदर्श 01, पुलिस थाना रूपनगढ द्वारा उपरोक्त का अन्तिम प्रतिवेदन प्रदर्श 02, नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श 03, गीता देवी का फर्द पंचायतनामा व सूरत-ए-हाल प्रदर्श 04, गीता देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 05, रोजनामचा प्रदर्श 06, दौराने अनुसंधान हनुमान के धारा 174 सीआरपीसी में लेखबद्ध किये गये बयान प्रदर्श 07, गीता देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 08 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया।

6. वादी की ओर से साक्ष्य समाप्त किए जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यू-1 महेश कुमार को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया। उभय पक्षों की साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात बहस अंतिम सुनी गई।

7. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी लिखित बहस व अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण विद्युत लाईन के रख रखाव हेतु उत्तरदायी है और प्रश्नगत घटना के दिन घटनास्थल के आस पास सुरक्षा हेतु कोई प्रबन्ध नहीं किए। जो तार लटक रखे थे उनको खींच कर सही नहीं किया गया। प्रतिवादीगण की लापरवाही के कारण मृतका गीता देवी की मृत्यु हुई है। जिसके संबंध में पुलिस थाना रूपनगढ़ द्वारा धारा 174 जा.फौ. की रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से घटना के समय प्रतिवादीगण की लापरवाही से मृतका गीता देवी की मृत्यु होना साबित है। वादी द्वारा घटना की रिपोर्ट अविलंब ही दर्ज करवा दी गई थी। वादी ने अपने वादपत्र को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। अतः वादी का वाद मय हर्जा-खर्चा डिक्री किया जावे। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने तथ्यों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए-

1- (2022) 3 RLW 1967 जोधपुर विद्युत वितरण नि लि. बनाम श्रीमती सीता देवी और अन्य

2- (2022) 1 WLN 443 अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. अजमेर बनाम स्व. छोटूराम

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि मृतका की मृत्यु विद्युत विभाग की लापरवाही से नहीं हुई है। मौके पर किसी प्रकार की विद्युत तार न टूटी हुई थी, ना ही लटकी हुई थी। विद्युत विभाग द्वारा विद्युत लाईन सभी

सुरक्षात्मक मापदण्डो को ध्यान में रखते हुए खींची गई है। मौके पर विद्युत विभाग की जो लाईन लगी है, वह ऊंचाई पर थी तथा आज भी नियमित ऊंचाई पर लगी हुई है। यदि तार नीचे लटके हुए होते तो इस संबंध में विभाग में शिकायत की जाती लेकिन ऐसी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। वादी ने तार टूटे होने के संबंध में कोई रंगीन फोटोग्राफ पेश नहीं किये है। जो घटना बताई गई है, वह निजी बाडा है, जिसके लिए प्रतिवादीगण उत्तरदायी नहीं है। वादी गवाहान की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। वादीगण ने चश्मदीद गवाह मुकेश को साक्ष्य में पेश कर परीक्षित नहीं करवाया है। वादी अपनी साक्ष्य से अपने वादपत्र को साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी का वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

8. हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस न्यायालय का तनकीवार विश्लेषण व निष्कर्ष इस प्रकार है-

तनकी संख्या -1

9. तनकी संख्या 01 यह है कि आया प्रतिवादीगण की लापरवाही व गफलत के कारण दुर्घटना घटित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मृतका गीता देवी के करन्ट लगने से मृत्यु कारित हुई ?

10. इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस संबंध में वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वयं को पीडब्ल्यू-1 के रूप में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया है। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 18-03-2023 को सुबह 8 बजे मृतका गीता देवी का कृषि कार्य हेतु मवेशी चराने के लिए जाने का कथन किया है एवं यह भी कथन किया है कि विद्युत विभाग की 11000 के.वी. की लाईन अत्यधिक नीचे लटकी हुई थी, जो

गीता देवी के टच हो गई, जिसके कारण करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना रूपनगढ़ पर की थी, जिस पर जांच कर धारा 174 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट उपखंड मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ के समक्ष पेश की गई। इस गवाह ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में प्रतिवादी विद्युत विभाग की लापरवाही से गीता देवी की मृत्यु होने का कथन किया है। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 8 को प्रदर्शित करवाया है, जिनमें से प्रदर्श 8 मृत्यु प्रमाण पत्र के अवलोकन से मृतका गीता देवी का स्वर्गवास दिनांक 08-03-2023 को होना दर्शित होता है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श 1 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता की रिपोर्ट है, जिसमें भी मृतका गीता की मृत्यु विद्युत विभाग के तारों से करंट लगने के कारण होना अंकित है। प्रदर्श 4 पंचायतनामा व फर्द निरीक्षण लाश में भी मृतका गीता की मृत्यु बिजली के तार से करंट लगने के कारण होना अंकित है। इसी तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 5 के अवलोकन से भी मृतका की मृत्यु बिजली का करंट लगने का तथ्य अंकित है। इसी तरह अन्य दस्तावेज प्रदर्श 2 अंतिम प्रतिवेदन अकाल मृत्यु में भी थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ़ ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मृतका गीता देवी अपनी बकरियां खारी बेरी स्थित श्रीजी महाराज के बाडे में चराने के दौरान विद्युत लाईन का एक तार टूटकर नीचे गिर जाने से और उस तार से मृतका गीता देवी के स्पर्श करने से करंट लगने के कारण हुई है। हस्तगत घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श 3 का अवलोकन करें तो इस नक्शे मौके में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि घटनास्थल पर छोटे-छोटे चबुतरे बने हुए हैं। कुछ दूरी पर कुआं है, जिसके पास विद्युत कनेक्शन हेतु पोल लगा हुआ है। जिस पर दो तार स्थित है, एक तार टूटकर नीचे जमीन पर पडा हुआ है तथा दूसरे दोनों तारों पर कटी हुई झाडियां हवा में फंसी हुई है। इस तरह इस नक्शा मौके से भी स्पष्ट है कि मौके पर विद्युत के तार टूटकर नीचे

गिरे हुए थे। प्रतिवादी विद्युत विभाग की यह विधिक जिम्मेदारी है कि वह अपनी विद्युत लाइनों का रख-रखाव व संरक्षण उचित रूप से करे। प्रतिवादी विद्युत विभाग द्वारा इन तारों को समय पर सही नहीं करने के कारण मृतका गीता देवी की करंट लगने से मृत्यु हुई है। हस्तगत प्रकरण में वादी के अन्य गवाह पीडब्ल्यू-2 जगमाल सिंह ने भी अपने साक्ष्य शपथ पत्र में मृतका गीता देवी की मृत्यु प्रतिवादी विद्युत विभाग की लापरवाही से करंट लगने के कारण होने का कथन किया है। वादी के दोनों गवाह अपनी जिरह में भी अपने मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों पर अडिग रहे हैं। प्रतिवादी के गवाह डीडब्ल्यू-1 महेश कुमार ने अपनी साक्ष्य शपथ पत्र में मौके पर किसी प्रकार के विद्युत तार टूटी व लटकी नहीं होने का कथन किया है। परंतु इस गवाह ने उक्त नक्शा मौका प्रदर्श 3 के खंडन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि दिनांक 18-03-2023 को मृतका गीता देवी के मृत्यु प्रतिवादीगण द्वारा विद्युत तारों का सही रख रखाव नहीं करने व लापरवाही के कारण लटके व टूटे हुए विद्युत तार से करंट लगने के कारण हुई है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2-</u>

11. तनकी संख्या 02 यह है कि आया वादी, प्रतिवादीगण से उक्त विद्युत प्रवाह के कारण दुर्घटना में उसकी पत्नी की मृत्यु होने के कारण 43,50,000/- रू. एवं दुर्घटना की दिनांक से वसूली तक इस राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज राशि भी प्राप्त करने का अधिकारी है?

12. इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस संबंध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन करें तो पत्रावली पर प्रदर्शित

दस्तावेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-5 में मृतका गीता देवी की मृत्यु के समय उम्र-56 वर्ष होना अंकित है। इसके अलावा वादी द्वारा मृतका का जन्म प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है जो उसकी जन्म दिनांक के संबंध में कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट करता हो। इस दस्तावेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खण्डन में कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-5 के अनुसार मृतका की आयु मृत्यु के समय 56 वर्ष होना माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

13. वादी द्वारा अपने वाद पत्र में मृतका का कृर्षि कार्य व मजदूरी का कार्य कर 15000/- रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया है। परंतु इस संबंध में वादी द्वारा कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे यह साबित होता हो कि मृतका की आय 15000/- रूपये मासिक हो। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण की ओर से भी पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है कि मृतका कोई आय प्राप्त नहीं करती हो। पत्रावली पर आयी साक्ष्य से मृतका गीता देवी का कृषि व मजदूरी का कार्य करना तो साबित है किन्तु प्रतिमाह 15000/- रुपये आय अर्जित करना, यह तथ्य साबित नहीं होता है। अतः मृतका अकुशल श्रमिक होना प्रकट होती है।

14. इस संबंध में जबकि पत्रावली पर मृतका की आय के संबंध में कोई दस्तावेज व ठोस साक्ष्य नहीं है। मृतका की मृत्यु के समय न्यूनतम मजदूरी के संबंध में प्रभावी राजपत्र अनुसार मृतका की मृत्यु दिनांक 18-03-2023 के अनुसार मृतका अकुशल श्रमिक मानते हुए, तत्समय प्रवृत्त न्यूनतम मजदूरी अनुसार उसकी प्रतिदिन आय 285/- रुपये माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रतिदिन रुपये 285/- के हिसाब से 30 दिन की मासिक आय 285x 30 = 8550/- रुपये अभिनिर्धारित की जाती है।

15. चूंकि मृतका स्थायी सेवा में नियोजित नहीं थी ऐसी स्थिति में न्यायिक दृष्टान्त स्पेशल लीव पीटिशन (सिविल) नं. 25590/2014 नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लि. बनाम प्रणय सेठी आदि में पारित में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017 के दिशा-निर्देशों अनुसार मृतका की आय 8550/- रुपये में भविष्यवर्ती आय के रूप में उसकी आयु 56 वर्ष होने से उसकी आय का 10 प्रतिशत जोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार मृतका की मासिक आय 8550/- रुपये मासिक एवं 10 प्रतिशत भविष्यवर्ती आय 855/- रुपये जोड़कर कुल 9405/- रुपये होती है।

16. न्यायिक दृष्टान्त 2009 डी.एन.जे. 684 (सुप्रीम कोर्ट) श्रीमती सरला वर्मा व अन्य बनाम डी.टी.सी. आदि में दिये गये दिशा निर्देशानुसार यदि मृतका विवाहित है तो उसकी व्यक्तिगत आय में से कटौती की जायेगी जो मृतका के जीवित रहते वह अपने व्यक्तिगत रहन-सहन पर खर्च करता और वह राशि मृतका के आश्रितों की संख्या के अनुसार होगी। वादी द्वारा अपनी याचिका में स्वयं को मृतका पर आश्रित होना बताया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह साबित होता है कि वादी, मृतका पर आश्रित नहीं हो। इस तरह मृतका पर 01 व्यक्ति निर्भर होने पर उसकी मासिक आय व भविष्यवर्ती आय कुल 9405/- रुपये में से 1/2 भाग की कटौती करने पर 9405-4702.5 = 4702.5/- रुपये की राशि आय की क्षति गणना हेतु प्राप्त होती है।

17. चूंकि मृतका की दुर्घटना तिथि को आयु 56 वर्ष निर्धारित की गयी है जिसके लिये न्यायिक दृष्टान्त नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लि. बनाम प्रणय सेठी आदि एवं श्रीमती सरला वर्मा व अन्य बनाम डी.टी.सी. आदि में प्रतिपादित दिशा निर्देशानुसार 56 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लिये 09 का गुणांक उपयोग में लाया जाना है। इस रीती के अनुसार 4702.5x

09 x 12 = 5,07,870/- रुपये आय की क्षति वादी को मृतका गीता देवी के असामयिक निधन के कारण हुई है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रतिकर राशि 5,07,870/- रुपये वादी बतौर आय क्षति प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

18. वादी मृतका का पति है जो मृतका की असामयिक मृत्यु होने के कारण अपनी पत्नी के प्यार, सहारे, स्नेह से वंचित हुआ है। इसलिये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतों Magma General Insurance Co. Ltd. vs Nanu Ram (2018) 18SCC 130 व New India Assurance Co. Ltd vs Smt. Somwati and ors. (Civil appeal No. 3093/2020) decided on 07-09-2020 में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में मृतका के पती को Spousal Consortium पेटे 40,000/- की राशि व मृतका के अंतिम संस्कार पेटे 15,000/- रुपये एवं सम्पदा हानि पेटे 15,000/- रुपये बतौर प्रतिकर राशि वादी को दिलायी जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी निम्न प्रतिकर राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं:-

क्रम संख्या	मद	क्षतिपूर्ति राशि
1.	आय की हानि	5,07,870 /— रु.
2.	साहचर्य की हानि	40000 /— रु.
3.	अंतिम संस्कार	15,000 /—रु.
4.	सम्पदा हानि	15,000 /—रु.
कुल राशि :—		5,77,870 /— रु.

19. इस प्रकार वादी कुल 577870/- रुपये अक्षरे पांच लाख सतहत्तर हजार आठ सौ सत्तर रूपये प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः वादी उपरोक्त प्रतिकर राशि प्रतिवादीगण संख्या-1 लगायत 3 से संयुक्ततः एवं पृथक-पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी हैं। फलतः तनकी संख्या-2 का निर्णय उपरोक्तानुसार वादी के पक्ष में किया जाता है।

<u>तनकी सं. 3 (अनुतोष)</u>

20. चूंकि तनकी सं. 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णीत किये गये हैं ऐसी स्थिति में उक्त तनकियों में किये विवेचन के अनुसार वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध कुल 577870/- रुपये अक्षरे पांच लाख सतहत्तर हजार आठ सौ सत्तर रूपये क्लेम याचिका प्रस्तुति दिनांक 20-07-2023 से अदायगी होने तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 से संयुक्ततः एवं पृथक-पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

<u>आदेश</u>

21. अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सव्यय स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी, प्रतिवादीगण से कुल 577870/- रुपये अक्षरे पांच लाख सतहत्तर हजार आठ सौ सत्तर रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण यह राशि निर्णय की दिनांक से दो माह में वादी को अदा करें।

22. वादी उक्त डिक्रीकृत राशि पर दावा दायरी से वसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है। तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(संदीप आनन्द)
अपर जिला न्यायाधीश,
संख्या 01, किशनगढ़, अजमेर

23. निर्णय आज दिनांक 16-07-2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संदीप आनन्द)
अपर जिला न्यायाधीश,
संख्या 01, किशनगढ़, अजमेर

SUNIL SONI

Steno Gr. II "Authenticate Document" Digitally signed by SUNIL SONI Date: 2026.07.18 09:42:42 +0530